न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –25/2021(2021/00044)

अनवान : –

रोशनलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र रामपत जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. बदरी पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. भगवाना पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री श्रवण सहारण । वादी
श्री श्रवण सहारण ।। प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 23/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 49/95 के मुरब्बा न0 16 के किला न0 8 ता 14, 16 ता 22, मु0 न0 17 के किला न0 6 ता 9, 11 ता 25 इस प्रकार कुल किता 33 की कुल 7.728 हैक्टेयर बारानी प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 114/101 के मु0 न0 28 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 25, मु0 न0 29 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 30 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 46 के किला न0 1 ता 6, मु0 न0 47 के किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 इस प्रकार कुल किता 71 की कुल 17.3310 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि ... वादी के दादा रामपत की खातेदारी हुआ करती थी। रामपत से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी धन्नाराम ... कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी धन्नाराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी धन्नाराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम को वादी के दादा रामपत से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी खतौनी चक 1 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2047 के खाता संख्या 64/58 एवं जमाबन्दी खतौनी चक 2 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2038 खाता संख्या 39/36 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी रोशनलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में सरपंच ग्राम पंचायत नेठराना द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 1 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2075–78 खाता संख्या 49/95 प्रदर्श 2, जमाबनदी चक 2 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2075–78 खाता संख्या 114/101 प्रदर्श 3, जमाबन्दी खतौनी चक 1 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2047 खाता संख्या 64/58 प्रदर्श 4, जमाबन्दी खतौनी चक 2 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2038 खाता संख्या 39/36 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 49/[illegible] मुरब्बा न0 16 के किला न0 8 ता 14, 16 ता 22, मु0 न0 17 के किला न0 6 ता [illegible] 25 इस प्रकार कुल किता 33 की कुल 7.728 हैक्टेयर [illegible] प्रतिवादी [illegible] 1 धन्नाराम के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक [illegible] बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 114/101 के मु0 न0 28 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 25, मु0 न0 29 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 30 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

46 के किला न0 1 ता 6, मु0 न0 47 के किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 इस प्रकार कुल किता 71 की कुल 17.3310 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 49/95 के मुरब्बा न0 16 के किला न0 8 ता 14, 16 ता 22, मु0 न0 17 के किला न0 6 ता 9, 11 ता 25 इस प्रकार कुल किता 33 की कुल 7.728 हैक्टेयर बारानी प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 114/101 के मु0 न0 28 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 25, मु0 न0 29 के किला न0 1 ता 25, मु0 न0 30 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0 न0 46 के किला न0 1 ता 6, मु0 न0 47 के किला न0 1 ता 5, 8 ता 10 इस प्रकार कुल किता 71 की कुल 17.3310 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी रोशनलाल व प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम, प्रतिवादी संख्या 2 बदरी, प्रतिवादी संख्या 3 भगवाना को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़